



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2019-आश्विन 5, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यांचल मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, अकोदिया, जिला शाजापुर

(राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत शिक्षा संस्थान)

अधिसूचना

मध्यांचल मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि यह संस्थान मध्यप्रदेश शासन के रजिस्ट्रीकरण सोसायटी अधिनियम की धारा-1973 पेरा 44, के तहत् पंजीकृत होकर गुणवत्ता मापदण्ड के अनुसार ISO 9001 : 2015, द्वारा प्रमाणित, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के सदस्य और भारतीय शिक्षक संघ के सदस्य (IATE) के रूप में स्थापित है।

यह संस्थान भारत सरकार की दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के परिपालनार्थ हेतु वर्चित समूहों से सम्बंधित (जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों) के लिए सुलभ शिक्षा मुहैया कराता है। यह मध्यप्रदेश शासन के रजिस्ट्रीकरण सोसायटी अधिनियम की धारा-1973 पेरा 44 के अधीन है, जो पंजीयन क्र. 07/36/06/14056/17 के तहत् अपनी नियमावली के अनुसार दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से वर्ष में 2 बार ऑनलाइन शैक्षणिक व व्यावसायिक परीक्षा आयोजित करता है तथा सफल विद्यार्थियों को नियमानुसार अंकतालिका/प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

ईश्वर सिंह मालवीय,

अध्यक्ष,

मध्यांचल मुक्त विद्यालय, शिक्षा संस्थान।

(600-बी.)

CHANGE OF NAME

It is to inform all that I Yogesh Jain S/o Shri S.H. Lodha, am a resident of E-3/93 Arera colony, Tehsil Huzur, Bhopal (Madhya Pradesh). My Name is Yogesh Lodha S/o Shri S.H. Lodha but by mistake in records my name was mentioned as Yogesh Jain. In all Identify private, Government, Semi government, Bank or other concerned records my name is mentioned as YOGESH LODHA. So, my name be treated as YOGESH LODHA.

Old Name :

(YOGESH JAIN)

(574-B.)

New Name :

(YOGESH LODHA)

CHANGE OF NAME

It is to inform all that I Ramananda Patidar S/o Shri Ashok Patidar, am a resident 277, Mandir Chauk Jharakheda Village Jharakheda, Tehsil Sehore, District Sehore (M.P.). My Name is Raman Patidar S/o Ashok Patidar but by mistake in records my name was mentioned as Ramananda Patidar. In all Identify private, Government, Semi government, Education records, Bank or other concerned records my name be treated as RAMAN PATIDAR. So, my name be treated as RAMAN PATIDAR.

Old Name :

(RAMANANDA PATIDAR)

(573-B.)

New Name :

(RAMAN PATIDAR)

CHANGE OF NAME

I, RASHI SABLE D/o YADAV RAO HIWASE, Resident of Singh Wahini Chowk Chikhli Kala Chandameta, Chindwara Pin 480447 Madhya Pradesh India, hereby declare that before marriage my name was RASHI HIWASE D/o of YADAV RAO HIWASE and after marriage I have changed my name as Rashi Sable W/o Pawan Kumar Sable. Now I will be known and Identified as Rashi Sable W/o Pawan Kumar Sable.

Old Name :

(RASHI HIWASE)

D/o Yadav Rao Hiwase.

(613-B.)

New Name :

(RASHI SABLE)

W/o Pawan Kumar Sable.

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश कुमार पाण्डेय पिता श्री रामसुयश पाण्डेय, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम-पोस्ट सगरा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) हाल मुकाम वार्ड नं. 15, रतहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) का निवासी हूँ, मेरा नाम शैक्षणिक अभिलेखों व अन्य दस्तावेजों में रमेश कुमार पाण्डेय अंकित है परन्तु मैं घर व समाज के लोगों में दीपक पाण्डेय के नाम से जाना जाता हूँ, इसलिये मैं अपना नाम रमेश कुमार पाण्डेय की जगह दीपक पाण्डेय ही रखना चाहता हूँ, आज दिनांक के बाद सभी लोग मुझे दीपक पाण्डेय के नाम से जाने व मेरे समस्त दस्तावेजों में दीपक पाण्डेय लिखा जाये।

पुराना नाम :

(रमेश कुमार पाण्डेय)

(601-बी.)

नया नाम :

(दीपक पाण्डेय)

निवासी-ग्राम-पोस्ट सगरा, तहसील मऊगंज,
जिला रीवा (म.प्र.).

हाल मुकाम वार्ड नं. 15, रतहरा,
तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे तीन पुत्र सुरेन्द्र राठौर, अमृतलाल सिंह राठौर, महादेव सिंह राठौर हैं, इनके शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं पेनकार्ड में त्रुटिवश मेरा घरू नाम पुष्पराज राठौर अंकित हो गया है जबकि मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों जैसे आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पेनकार्ड, ऋण पुस्तिका में मेरा नाम कन्छेदी सिंह राठौर अंकित है जो कि सत्य व सही है, उक्त दोनों ही नाम मेरे हैं, भविष्य में मुझे कन्छेदी सिंह राठौर के नाम से जाना एवं पहचाना जाये एवं मेरे तीनों बच्चों के दस्तावेजों में मेरा नाम सुधार कर पुष्पराज राठौर के स्थान पर कन्छेदी सिंह राठौर दर्ज किया जावे।

पुराना नाम :

(पुष्पराज सिंह)

(602-बी.)

नया नाम :

(कन्छेदी सिंह राठौर)

ग्राम-ददरी पोस्ट महरोई,
जिला उमरिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कल्लू खां पिता श्री फैयाज खां था। अब वर्तमान में मेरा नाम खालिद खां हो गया है। अतः अब मुझे खालिद खां नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं मेरे समस्त रिकार्ड में भी यही नाम अंकित समझा जावे।

पुराना नाम :

(कल्लू खां)

नया नाम :

(खालिद खां)

पता-ग्राम ललरिया, तहसील बैरसिया,

जिला भोपाल (म.प्र.).

(603-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्री सिरीष दुवे पुत्र श्री जय हिन्द दुवे सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरी पुत्री का जन्म का नाम लक्ष्मी था जो उसके चिकित्सीय जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र में अंकित है जबकि वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम आव्या दुवे पुत्री श्री सिरीष कुमार दुवे (Aavya Dubey D/o Sirish Kumar Dubey) के नाम से पहचानी एवं पुकारी जाती है और भविष्य में भी इसी नाम से आव्या दुवे पुत्री श्री सिरीष कुमार दुवे (Aavya Dubey D/o Sirish Kumar Dubey) जानी, पहचानी एवं पुकारी जायेगी। अतः मेरी पुत्री का नाम चिकित्सीय जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र में लक्ष्मी के स्थान पर आव्या दुवे पुत्री श्री सिरीष कुमार दुवे (Aavya Dubey D/o Sirish Kumar Dubey) लिखा एवं पढ़ा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

सिरीष कुमार दुवे,

निवासी-शिव कॉलोनी नाका चन्द्रवदनी,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(604-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पंचम सिंह कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम पंचम सिंह था जो मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पंचम सिंह अंकित हो गया है जबकि मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में मेरा नाम पंचम सिंह कुशवाह अंकित है एवं वर्तमान में मुझे पंचम सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम पंचम सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। अतः मेरे बी.एस.एन.एल. विभाग के सर्विस बुक, अन्य प्रपत्रों में मेरा सही नाम पंचम सिंह कुशवाह अंकित किया जाए। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(पंचम सिंह)

नया नाम :

(पंचम सिंह कुशवाह)

निवासी-लक्ष्मी कॉलोनी, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(605-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि हायर सेकेण्डरी की अंकसूची और प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया DHARMENDAR KUMAR SINGH BHADAURIA पुत्र श्री मथुरा सिंह भदौरिया दर्ज है। लेकिन अब मैं धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया DHARMENDRA SINGH BHADAURIA के नाम से जाना जाता हूँ। यही नाम मेरे सारे दस्तावेजों में दर्ज हैं। अब इसी नाम से मुझे जाना जाए।

पुराना नाम :

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह भदौरिया)

पुत्र-श्री मथुरा सिंह भदौरिया।

नया नाम :

(धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया)

पुत्र श्री मथुरा सिंह भदौरिया।

(606-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुमारी किरण धनोतिया पिता श्री रामप्रसाद धनोतिया था, मेरा विवाह दिनांक

28-01-2014 को सम्पन्न हुआ, विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमति किरण घरिया पति श्री अभिषेक घरिया हो गया है। अतः अब मुझे भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावें।

पुराना नाम :

(कुमारी किरण धनोतिया)
(KUMARI KIRAN DHANOTIA)
पिता-श्री रामप्रसाद धनोतिया।

नया नाम :

(किरण घरिया)
(KIRANGHARIA)
पति-श्री अभिषेक घरिया,
पता-1579, सेक्टर-डी, सुदमा नगर,
इन्दौर (म.प्र.).

(607-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अपने पुत्री अनाया मुच्छाल (ANAYA MUCHHAL) का प्राकृतिक पिता हूँ और उसके हितों की रक्षा हेतु उसे पुराने नाम परी मुच्छाल (PARI MUCHHAL) के स्थान पर नया नाम अनाया मुच्छाल (ANAYA MUCHHAL) ग्रहण कर लिया है सो मेरी पुत्री को परिचित, रिश्तेदार, समाजजन नये परिवर्तित नाम अनाया मुच्छाल (ANAYA MUCHHAL) के नाम से जाने, पहचाने एवं पुकारें।

नितिन मुच्छाल (पिता),
पिता-श्री हरिवल्लभ मुच्छाल,
निवासी-38, विकास नगर,
14/2, नीमच, जिला नीमच (म.प्र.).

(608-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं बाबू जॉन राव पिता संजय राव मेरे पुत्र दीपक मानिकम आत्मज बाबू जॉन राव है जो कि मेरे पुत्र के समस्त शिक्षा संबंधी दस्तावेज शासकीय व अशासकीय विभागों में भी दर्ज है, आज दिनांक के मेरे पुत्र का नाम दीपक राव आत्मज बाबू जॉन राव लिखा व पढ़ा जाये। समस्त शासकीय व अशासकीय विभागों में, वित्तीय संस्थाओं में यही नाम दर्ज किया जावे।

बाबू जॉन राव
(पिता).

(609-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, संजूलता जैन पति अभय जैन आम जनता को सूचित करती हूँ कि संजूलता जैन एवं अर्चना जैन पति अभय जैन एक ही महिला के नाम हैं। विद्यालय या महाविद्यालय में जहाँ भी अर्चना जैन नाम दर्ज हो उसे संजूलता जैन के नाम से जाना, पहचाना जाये तथा मेरे पुत्र अतिशय जैन जो जॉय सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, विजय नगर, जबलपुर में दसवीं कक्षा में अध्यनरत हैं। इनके स्कूल एवं सीबीएसई बोर्ड में मेरा नाम जहाँ भी अर्चना जैन दर्ज हो वहाँ पर आज से संजूलता जैन पति अभय जैन पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

(अर्चना जैन)

नया नाम :

(संजूलता जैन)

(610-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम सोनू पिता श्री मर्दन सिंह था। अब वर्तमान में मेरा नाम राजेन्द्र सिंह हो गया है। अतः अब मुझे राजेन्द्र सिंह नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं मेरे समस्त रिकार्ड में भी यही नाम अंकित समझा जावे।

पुराना नाम :

(सोनू)

नया नाम :

(राजेन्द्र सिंह)

(614-बी.)

पता-ग्राम भैसखेड़ा, तहसील बैरसिया,
जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम हिम्मत सिंह पिता श्री रघुवीर सिंह था। अब वर्तमान में मेरा नाम हनुमंत सिंह हो गया है। अतः अब मुझे हनुमंत सिंह नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं मेरे समस्त रिकार्ड में भी यही नाम अंकित समझा जावें।

पुराना नाम :

(हिम्मत सिंह)

(615-बी.)

नया नाम :

(हनुमंत सिंह)

पता-ग्राम मंगलगढ़, चाचा खेड़ी,
तहसील-बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राधारानी पत्नी श्री राधा बल्लभ सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बोलता नाम गीता देवी शर्मा है जो मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है जबकि मैं वर्तमान में राधा रानी पत्नी श्री राधा बल्लभ के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ। भविष्य में भी इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गीता देवी शर्मा के स्थान पर राधारानी पत्नी श्री राधा बल्लभ लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(गीता देवी शर्मा)

(618-बी.)

नया नाम :

(राधा रानी)

पत्नी-श्री राधा बल्लभ,
पता-परसादी पुरा, मुरार ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, हेमन्त राठौर पुत्र श्री माधव सिंह राठौर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बोलता नाम हरिओम राठौर पुत्र श्री माधव सिंह राठौर था जो मेरी बीमा पॉलिसियों, मकान की रजिस्ट्रीयों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं हेमन्त राठौर पुत्र श्री माधव सिंह राठौर के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और हेमन्त राठौर के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ हेमन्त राठौर एवं हरिओम राठौर मेरे ही नाम हैं (भूलवश) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं मकान की रजिस्ट्रीयों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हरिओम राठौर पुत्र श्री माधव सिंह राठौर के स्थान पर हेमन्त राठौर पुत्र श्री माधव सिंह राठौर लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(हरिओम राठौर)

(619-बी.)

नया नाम :

(हेमन्त राठौर)

पता-लकड़ खाना पुल लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियांशी शिवहरे पुत्री श्री दर्शनलाल शिवहरे सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम कृ. दिव्या शिवहरे पुत्री श्री दर्शनलाल शिवहरे था। जो मेरी UTI MUTUAL FUND एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं, प्रियांशी शिवहरे पुत्री श्री दर्शनलाल शिवहरे के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ और प्रियांशी शिवहरे के नाम से ही हस्ताक्षर करती हूँ दिव्या शिवहरे एवं प्रियांशी शिवहरे मेरे ही नाम हैं (भूलवश) मेरी UTI MUTUAL FUND एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बचपन का नाम दिव्या पुत्री श्री दर्शनलाल शिवहरे लिखा गया है। अतः मेरी UTI MUTUAL FUND एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा सही नाम प्रियांशी शिवहरे पुत्री श्री दर्शनलाल शिवहरे लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(दिव्या शिवहरे)

(620-बी.)

नया नाम :

(प्रियांशी शिवहरे)

पता-वार्ड नं. 09, नन्दराम वाली गली,
इसलामपुर, मुरेना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अंतिम साहू सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम अंतिम साहू पुत्री श्री बद्रीप्रसाद साहू है जो मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय/अद्वशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 03-12-2007 को श्री प्रणजीव साहू

के साथ हो गया है। विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती अंतिम साहू पत्नी श्री प्रणजीव साहू हो गया है। वर्तमान में श्रीमती अंतिम साहू पत्नि श्री प्रणजीव साहू के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती अंतिम साहू पत्नी श्री प्रणजीव साहू के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी। अतः मेरे शैक्षणिक, शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम अंतिम साहू पुत्री श्री बद्रीप्रसाद साहू के स्थान पर श्रीमती अंतिम साहू पत्नी श्री प्रणजीव साहू लिखा एवं पढ़ा जाये एवं आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(अंतिम साहू)

पुत्री श्री बद्रीप्रसाद साहू,

(621-बी.)

नया नाम :

(अंतिम साहू)

पत्नी श्री प्रणजीव साहू,
ग्राम-धरनावदा, तहसील रघौगढ़,
जिला गुना (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, फूलचन्द सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बोलता नाम फूल सिंह प्रजापति था। जो मेरे बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में अंकित है और वर्तमान में मैं, फूलचन्द के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ और फूलचन्द के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा बोलता नाम फूल सिंह प्रजापति लिखा गया है जो कि गलत है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम फूल सिंह प्रजापति के स्थान पर फूलचन्द लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(फूल सिंह प्रजापति)

(622-बी.)

नया नाम :

(फूलचन्द)

पता-ग्राम आलौरी, तहसील गोहद,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पेनकार्ड, हायर सेकेण्ड्री, बी.एस.सी., एम.एस.सी. की अंकसूचियों में एवं सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम मालविका मिश्रा पुत्री श्री रमेश प्रसाद मिश्रा अंकित है तथा मेरे आधारकार्ड में मेरा नाम मालविका मिश्रा पत्नी श्री राजीव दुबे अंकित है।

मैंने मालविका मिश्रा पुत्री श्री रमेश प्रसाद मिश्रा के स्थान पर अपना नाम श्रीमती मालविका दुबे पत्नी श्री राजीव दुबे Smt. MALVIKA DUBEY W/o RAJIV DUBEY नाम परिवर्तित कर लिया है। भविष्य में मैं, श्रीमती मालविका दुबे पत्नी श्री राजीव दुबे के नाम से ही जानी, पहचानी व पुकारी जाऊंगी।

पुराना नाम :

(मालविका मिश्रा)

पुत्री-श्री रमेश प्रसाद मिश्रा,

(623-बी.)

नया नाम :

(मालविका दुबे)

पत्नी श्री राजीव दुबे,
निवासी-मकान नम्बर 01, सपना मेंशन,
गोविन्दपुरी, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मैं, डॉ. प्रेम शंकर व्यास के नाम से जाना व पहचाना जाता था। आज दिनांक से मैं, डॉ प्रेम व्यास के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम :

(प्रेम शंकर व्यास)

(626-बी.)

नया नाम :

(प्रेम व्यास)

उम्र-36 वर्ष, व्यवसाय-डॉक्टर,
1-बी, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा पूरा नाम उपनाम सहित व नाम की सही स्पेलिंग Manish Jadhav S/o Dattatray Jadhav है, किन्तु मेरे सभी दस्तावेजों में हमारे नाम की स्पेलिंग अलग व गलत और उपनाम रहित लिखी हुई है, जैसे Manish S/o Dattarata (10th, I.T.I., NTC, NAC & NCC) एवं Manish S/o Dattatray (12th) जबकि मेरे अब के अन्य सभी दस्तावेजों में (आधारकार्ड, पेनकार्ड व अन्य) हमारे नामों की सही स्पेलिंग व पूरा नाम उपनाम सहित Manish Jadhav S/o Dattatray Jadhav लिखा हुआ है, अतः अब से सभी शासकीय-अशासकीय दस्तावेजों में हमें हमारे सही व पूरे नाम Manish Jadhav S/o Dattatray Jadhav से लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(मनीष)

(MANISH)

पुत्र दत्ताराता/दत्तात्रय।

(S/o Dattarata/Dattatray)

(625-बी.)

नया नाम :

(मनीष जाधव)

(MANISHJADHAV)

पुत्र दत्तात्रय जाधव,

(S/o Dattatray Jadhav)

160/2, सेक्टर-ए, कुशवाह नगर,

इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शपथकर्ता हुकमचंद झारिया आत्मज स्व. श्री गौरीशंकर झारिया, आयु 74 वर्ष, पेशा सेवा निवृत्त शिक्षक (पेशनर), निवासी ग्राम पोस्ट डोभी, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों आधारकार्ड, पेनकार्ड व नौकरी पेंशन आदि से संबंधित दस्तावेजों में अपना नाम हुकमचंद झारिया लेख करता चला आ रहा हूँ मैं, मेरा जाति का सदस्य हूँ तथा झारिया, मेरा जाति की उपजाति (सरनेम) हैं जो कि अपने पुत्र संदीप कुमार के शासकीय, अर्द्धशासकीय व नौकरी से संबंधित दस्तावेजों में स्वयं का उपनाम (सरनेम) मेरा के स्थान पर झारिया अंकित कराने हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अतः मुझे मेरे पुत्र संदीप कुमार के शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में हुकमचंद मेरा के स्थान पर हुकमचंद झारिया लिखा, पढ़ा व समझा जावे।

पुराना नाम :

(हुकमचंद मेरा)

(627-बी.)

नया नाम :

(हुकमचंद झारिया)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ज्योति पेट्रोलियम बुरहानपुर चौक एन. एच. 78, कोतमा, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश का पंजीयन क्रमांक 05/48/02/00128/13, दिनांक 27-09-2013 पर पंजीकृत फर्म है उक्त पंजीयन के समय ज्योति सिंह व श्री गौरव सिंह भागीदार था। फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01-09-2019 को ज्योति सिंह फर्म के भागीदार पृथक् हो गए। उक्त फर्म में भागीदार न होने के कारण फर्म को भंग किया जाता है। उक्त फर्म में प्रोपाइटर श्री गौरव सिंह हो गए।

मैसर्स ज्योति पेट्रोलियम,

गौरव सिंह,

(भागीदार)

पता-बुरहानपुर चौक एन. एच. 78, कोतमा,

जिला अनूपपुर (म.प्र.).

(611-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म Ms Sumitra Devi Cold Storage And Ice Factory स्थित Near Ganj Rampur Tiraha, Ambah Road, Morena, जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0134/17, दिनांक 14-01-2017 है। जिसमें दिनांक 03-09-2019 को भागीदार श्री गोविन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, निवासी सरोज टॉवर, मुरैना टॉकीज के सामने मुरैना फर्म में स्वेच्छा से पृथक् हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

Ms Sumitra Devi Cold Storage And Ice Factory,

राहुल गुप्ता,

(भागीदार).

(612-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रोत्रिय कंस्ट्रक्शन, तोमर बिल्डिंग, गऊ घाट, इन्द्रगंज चौराहा, ग्वालियर में साझेदारी व्यवसाय दिनांक 24-08-2011 से कार्यरत है जो कि दिनांक 18-9-2019 से फर्म के सभी साझेदारों की सहमति द्वारा फर्म के नाम में परिवर्तन कर फर्म का नाम मैसर्स श्रोत्रिय कंस्ट्रक्शन कम्पनी, तोमर बिल्डिंग, गऊ घाट, इन्द्रगंज चौराहा, ग्वालियर किया गया है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00087/11, दिनांक 01-07-2011 है जिसमें दिनांक 18-09-2019 को अपनी साझेदारी फर्म के नाम में संशोधन किया गया है भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार परिवर्तन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले सभी साझेदार को स्वीकार हैं।

मैसर्स श्रोत्रिय कंस्ट्रक्शन कंपनी,
श्याम सुन्दर श्रोत्रिय,
(पार्टनर)

(616-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स कैलाश गैस सर्विस, 131, महादेवी प्लाजा, मयूर नगर, थाटीपुर, ग्वालियर में साझेदारी व्यवसाय दिनांक 13-11-2013 से कार्यरत है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00026/14, दिनांक 23-05-2014 है जो कि दिनांक 08-09-2019 से फर्म के सभी साझेदारों की सहमति द्वारा फर्म को भंग/समाप्त कर दी गई है। जिसमें फर्म के लाभ-हानि अनुपात में हिस्सों के आधार पर फर्म की पूँजी, लाभ-हानि खातों में पूर्णतः से समाप्त कर दी गई तथा फर्म से किसी भी व्यक्ति या किसी फर्म का कोई भी लेना-देना शेष नहीं रहा है और सभी साझेदारों द्वारा फर्म से अपना हिसाब बराबर हो चुका है अब इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है। साझेदारी फर्म से भविष्य में इस फर्म में या इस फर्म के नाम से कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। यदि भविष्य में साझेदारी फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी निकलती है तो वह दोनों साझेदारों द्वारा शेयर के अनुसार देय होगी और यह सभी साझेदार को स्वीकार है।

मैसर्स कैलाश गैस सर्विस,
राधा रमन शर्मा,
(पार्टनर)

(617-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स खेरापती सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज जो 26, बानमोर, मुरैना मध्यप्रदेश में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 0129/15, दिनांक 14-10-2015 जिसमें दिनांक 01-05-2019 से भागीदार श्री अशोक अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गोयल, निवासी- फूलगंज, बानमोर, मुरैना मध्यप्रदेश फर्म में से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-05-2019 से श्री शुभम गोयल पुत्र श्री दिनेश कुमार गोयल, निवासी- फूलगंज, बानमोर, मुरैना, मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हैं।

मैसर्स खेरापती सर्जिकल कॉटन इण्डस्ट्रीज ,
वर्षा गोयल,
(भागीदार)
पता-26, बानमोर, मुरैना (म.प्र.).

(624-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

रा.प्र.क्र.01/वी-113/2019-20.

मौजा. सौंसर प.ह.न.18, तह. सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा.

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी श्री किशोर किनकर गायत्री परिवार ट्रस्ट गायत्री शक्तिपीठ सौंसर, तहसील-सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951क-30 की धारा-4) के अंतर्गत गायत्री परिवार ट्रस्ट सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2019 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि तक या उसके पूर्व मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। पेशी दिनांकगत् होने के पश्चात् प्राप्त दावा/ आपत्तियों पर विचार नहीं लिया जावेगा।

आज दिनांक 09 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया।

पेशी दिनांक 09 सितम्बर, 2019।

जारी दिनांक 26 सितम्बर, 2019।

(626)

ओमप्रकाश सनोडिया,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा)।

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इंदौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री अशोक जैन पिता रतनलाल जैन पता-7/1, राज रतन पार्क, डॉ. आर. एस. भण्डारी मार्ग, रेस कोर्स रोड, इन्दौर के द्वारा “सम्पतबाई रतनलाल चेरीटेबल ट्रस्ट, पता- 7/1, राज रतन पार्क, डॉ. आर. एस. भण्डारी मार्ग, रेस कोर्स रोड, इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम 4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/-का चालान क्रमांक 00707665 दिनांक 24 अगस्त, 2019 प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	सम्पतबाई रतनलाल चेरीटेबल ट्रस्ट
पता	:	7/1, राज रतन पार्क, डॉ. आर. एस. भण्डारी मार्ग, रेस कोर्स रोड, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	1,08,000/-
चल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 31 अगस्त, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(611)

शाश्वत शर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

रा.प्र.क्र.-0002 ब-113(1) वर्ष 2019-20

मौजा-तूमड़ा, रा.नि.मं. साईंखेड़ा, तहसील गाडरवारा।

इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0002/ब-113(1)/ 2019-20 श्री देवरामजानकी मंदिर ट्रस्ट तूमड़ा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किया जाना है एतद् द्वारा सूचना-पत्र (इश्तहार) किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार हेतु रख गया है।

अतः मैं, राजेश शाह, उप जिलाध्यक्ष, पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा (अनुविभागीय अधिकारी, गाडरवारा) जिला नरसिंहपुर, न्यायालय में दिनांक 23 सितम्बर, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस संबंध में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह मेरे न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि 23 सितम्बर, 2019 तक, दो प्रतियों में अपनी आपत्ति/सुझाव लिखित में अपने सहप्रमाण सहित में

इस सूचना-पत्र प्रकाशन में निर्धारित तिथि के पूर्व तक प्रस्तुत कर सकता है। और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों या दावा/सुझाव पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(श्री देवरामजानकी मंदिर ट्रस्ट, ग्राम तूमडा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर)

अचल संपत्ति

क्र.	विवरण	बाजार मूल्य (रु.)
1.	ग्राम तूमडा नं.बं. 209 प.ह.नं. 6 रा. नि. मं. साईंखेड़ा स्थित भूमि ख.न. 105, 117, 149/2, 197, 201, 498 रकबा क्रमशः 9.797, 2.780, 1.113, 2.233, 1.773, 2.436 हे. कुल रकबा 20.132 हे., मौजा साईंखेड़ा स्थित शासकीय आबादी भूमि ख. नं. 462/1 में स्थित देवरामजानकी जी का मंदिर भवन।	2,81,84,800/- (दो करोड़ इक्यासी लाख चौरासी हजार आठ सौ)

चल संपत्ति

क्र.	विवरण	बाजार मूल्य
1.	अष्टधातु की 3 मूर्तियां श्री रामचंद्रजी, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी, पीतल एवं कांसा की 5 मूर्तियां श्री रामचंद्र जी, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी एवं अन्य, मार्बल पत्थर की 5 मूर्तियां, चांदी का 1.5 किलोग्राम वजनी मुकुट एवं हार, 300 ग्राम वजनी चांदी का हनुमान जी का मुकुट एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां।	लगभग 10 लाख रुपया
2.	भारतीय स्टेट बैंक में जमा राशि 10 लाख रुपया।	

राजेश शाह,

(612)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रहली, जिला सागर

रा.प्र.क्र. बी-113/2018-19.

रहली, दिनांक 06 सितम्बर, 2019

आम जनता को सूचित किया जाता है कि पल्लूराम पिता काशीराम कुर्मी निवासी-पटनाबुजुर्ग तहसील रहली, जिला-सागर ने श्री देव जानकी गायत्री राधारमण श्री मंदिर स्थित ग्राम पटनाबुजुर्ग का न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्ताव दिनांक 25 फरवरी, 2019 की छायाप्रति के साथ प्रस्तुत किया है।

बिंदुवार जानकारी निम्नानुसार है:-

- न्यास का, नाम व पता - श्री देव जानकी गायत्री राधारमण मंदिर ग्राम पटनाबुजुर्ग तह. रहली.
- लोक न्यास की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य - धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान।
- वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रबंधन कार्यालय या करोबार का प्रधान स्थान स्थित है - ग्राम पटनाबुजुर्ग तहसील रहली, जिला सागर।
- कार्यकारी न्यास धारी और प्रबंधन का नाम उनके पते सहित - 1. श्री पल्लूराम पिता काशीराम कुर्मी प्रबंधक कार्यकारी न्यासी, 2. हरप्रसाद पिता कुंजी कुर्मी न्यासी, 3. नाथूराम पिता लाडले कुर्मी न्यासी, 4. शंकर पिता टन्टू कुर्मी न्यासी, 5. दयाराम पिता धनू कुर्मी न्यासी, 6. काशीराम पिता शालकराम कुर्मी न्यासी, सभी निवासी-ग्राम पटनाबुजुर्ग तहसील रहली, जिला सागर मध्यप्रदेश।
- न्यासी पद या व्यवस्थापक पद के उत्तराधिकार की रीति - कार्यकारी समिति के सदस्यों की बैठक में बहुमत के आधार पर चुनाव द्वारा।
- न्यास को सृजित करने वाले लिखतमों के विवरण - प्रस्ताव दिनांक 25 फरवरी, 2019।
- न्यास से संबंधित योजना यदि कोई हो तो विवरण प्रतियां संलग्न करें - स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की गतिविधियों एवं अन्य कार्य।
- ऐसी संपत्ति के प्रत्येक वर्ग की अनुमानित मूल्य सहित संपत्ति - निरंक।

9. स्थावर संपत्ति - ग्राम समनापुर कला प.ह.न. 08 स्थित भूमि ख.न. 356 रकवा 0.69 हे. भूमि एवं ग्राम ठिकुआ प.ह.न. 22 स्थित भूमि ख.न. 342/3, 344/2 रकवा क्रमशः 0.40, 0.06 हे. कुल रकवा 1.15 हे. भूमि.
10. जमीन कीमती- 14,00,000/-
11. न्यास की आय के साधन - उपरोक्त कृषि भूमियों से आय का स्रोत दानदाताओं के द्वारा दान की गई राशि द्वारा.
12. कुल वार्षिक औसत आय- 30,000/- रुपया.
13. कुल व्यय- 30,000/- रुपया.

न्यासधारियों और प्रबंधक को दिये जाने वाले पारिश्रमिक - निरंक,

स्थापना व कर्मचारी पर व्यय- मंदिर के पुजारी एवं साफ-सफाई कर्मचारी वर्ग पर 20,000 वार्षिक. धार्मिक उद्देश्य पर-5000/- पांच हजार रुपये, पुण्यार्थ उद्देश्यों पर-5000/- पांच हजार रुपये.

14. न्यास संपत्ति पर ऋणभार यदि कोई हो के विवरण -नहीं।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 28-अक्टूबर, 2019 को 11.00 बजे दिन को नियत की गई है। उक्त संबंध में जिसे आपत्ति हो, वह अपनी आपत्ति नियत दिनांक व समय पर उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अधिकार्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। म्यांद गुजरने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

जमादार माल:- इश्तहार की ग्राम में विधिवत् मुनादी कराई जाकर एक प्रति ग्राम की आम चौपाल पर चस्पा कराई जावे तथा एक प्रति तामीली रिपोर्ट सहित तारीख पेशी के पूर्व न्यायालय को वापिस की जावे।

इश्तहार आज दिनांक 06 सितम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया है।

सी. ए.ल. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी।

(613)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 09 सितम्बर, 2019

संशोधन आदेश

क्र./परि./2019/1656.—कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2017/692, ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017 से श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./184, दिनांक 13 जुलाई, 1996 को परिसमापित किया गया था। पंजीयन रजिस्ट्रार अनुसार श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./124, दिनांक 31 जुलाई, 1986 है। टंकण त्रुटि के कारण पंजीयन क्रमांक गलत टंकित हो गया था।

अतः कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2017/692, ग्वालियर दिनांक 25 मार्च, 2017 में अंकित श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर का पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./184, दिनांक 13 जुलाई, 1996 के स्थान पर डी. आर./जी. डब्ल्यू.आर./124, दिनांक 31 जुलाई, 1986 माना जावें। शेष आदेश यथावत रहेगा।

अशोक कुमार शुक्ल,
उप-पंजीयक।

(614)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 04 सितम्बर, 2019

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अंतर्गत)

क्र./परि./2019/क्यू.—उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत् मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पेवची	922/30-08-2005	894/19-08-2014

1	2	3	4
2.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पलसावद	156/05-04-1980	898/19-08-2014
3.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलाना	482/29-03-1988	892/19-08-2014
4.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमल्याखेडी	1186/11-01-2015	673/24-04-2018
5.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सकतखेडी	1189/20-01-2015	673/24-04-2018
6.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचोर	1151/11-12-2014	673/24-04-2018
7.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिजावद	1147/11-12-2014	673/24-04-2018
8.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडोनी	1130/20-11-2014	673/24-04-2018
9.	महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमलाय	1185/19-01-2015	47/11-01-2017

अतः मैं आर. सी. जरिया, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(615)

आर. सी. जरिया,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्था मर्या., जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 04 सितम्बर, 2019

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57-सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2019/क्यू.—उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला शाजापुर द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न संस्थाओं जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71(1) के तहत मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ वैष्णो महिला बचत सहकारी संस्था मर्या., लडावद	12/09-01-2002	514/06-05-2015
2.	केशव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., किलोदा	33/31-05-2003	36/11-01-2017
3.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडल्यापातला	555/07-07-1990	912/12-08-2014
4.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शेरपुरा	807/28-03-2000	42/11-01-2017
5.	सरदार पटेल मेडिकल सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर	1067/20-06-2012	134/04-02-2016
6.	ब्रह्मपुरी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर	313/28-03-1985	2225/31-10-2007
7.	उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिमैना	1145/08-12-2014	569/04-06-2016
8.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उगाय	476/29-03-1988	914/19-08-2014
9.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलखेडा	548/07-07-1990	2423/11-12-2017

अतः मैं एन. के. मालवीय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला शाजापुर म.प्र. सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था/संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, पुराना जिला पंचायत भवन, जिला शाजापुर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारी/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(616)

एन. के. मालवीय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2019

क्र./उरन./परिसमापन/2019-20/909. कार्यालयीन आदेश क्र./उरन/परिसमापन/2014/282, नरसिंहपुर दिनांक 26 फरवरी, 2014 द्वारा वशंकार सहकारी समिति मर्या., आमगांव प.क्र. 602, दिनांक 09-01-2008 तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्रीमति अनीता कोला, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. किन्तु श्रीमति अनीता कोल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक स्थानान्तरण जिला नरसिंहपुर से जिला कट्टनी हो जाने के कारण संशोधित आदेश क्रमांक/उरना/परिसमापन/2019/324, नरसिंहपुर, दिनांक 08 मार्च, 2019 के द्वारा अधिनियम की धारा-70(1) के तहत श्री डी. के. गुप्त, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा उक्त संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिसमापक द्वारा संस्था की बैलेन्स शीट में देनदारी/लेनदारी निरंक दर्शाई गई है। तथा संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा अपने प्रतिवेदन में की गई है। परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था की लेनदारी एवं देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन में लेनदारी एवं देनदारी शून्य होने से संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, उप-रजिस्ट्रार सहकारी, संस्थायें नरसिंहपुर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम-1960 की धारा-18(1) के तहत वशंकार सहकारी समिति मर्या., आमगांव प.क्र. 602, दिनांक 09 जनवरी, 2008 तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय बॉडीकार्पोरेट समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 29 अगस्त, 2019 को कार्यालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(617)

अखिलेश कुमार निगम,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 22 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(12) के अंतर्गत]

क्र./पंजीयन./पुनर्गठन./2019.—आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/पी-21/2019/2042, दिनांक 05 जुलाई, 2019 द्वारा ग्राम चामसी को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मुरावर से हटाकर खड़ीहाट में जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरावर को पुनर्गठित कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, खड़ीहाट में जोड़ना है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरावर द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2019 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था के विभाजन को स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरावर को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, मुरावर में ग्राम:-मुरावर, कुरावर, मूण्डला, हाजीपुर, कान्याखेड़ी, पलासी को मिलाकर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, खड़ीहाट में -खड़ीहाट, ढूका, हरन्यागांव, कल्याणपुरा, चामसी दो संस्थाओं में विभाजित किया जायेगा। चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है। अतः अधिनियम की धारा-16 (5) के अन्तर्गत सदस्यों को स्वेच्छा जाहिर करने की कार्यवाही पूर्ण की गई।

पुनर्गठन की उपरोक्त स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16 (12) के अन्तर्गत प्रेषित है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 22 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(618)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा, 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोराहा, तहसील सीहोर, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 773, दिनांक 10 फरवरी, 1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1798/सीहोर दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था।

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 5-1-99-पन्द्रह-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दोराहा, तहसील सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(619)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरागढ़ छत्ती, तहसील सीहोर, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1602, दिनांक 06 मार्च, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1151/सीहोर दिनांक 10 सितम्बर, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था।

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 5-1-99-पन्द्रह-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बैरागढ़ छत्ती, तहसील सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(620)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूडिया सूखा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 20 जुलाई, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1793/सीहोर दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था।

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 5-1-99-पन्द्रह-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों

का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसूडिया सूखा, तहसील आष्टा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(621)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवखेड़ी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1589, दिनांक 03 फरवरी, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1152/सीहोर दिनांक 10 सितम्बर, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था।

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 5-1-99-पन्द्रह-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शिवखेड़ी, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(622)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुरा टप्पा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1544, दिनांक 13 मार्च, 2011 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1153/सीहोर दिनांक 10 सितम्बर, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था।

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 5-1-99-पन्द्रह-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., श्यामपुरा टप्पा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. रायचूर, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(623)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

लक्ष्मी बाई महिला बुनकर लंगापुरा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1480, दिनांक 06 नवम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/1154/सीहोर दिनांक 10 सितम्बर, 2018 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था।

संस्थाओं द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में न तो कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया और न ही पक्ष समर्थन किया गया। अतः सोसायटी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ, 5-1-99-पन्द्रह-1- सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर लक्ष्मी बाई महिला बुनकर लंगपुरा आष्टा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. पाठक, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(624)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

अंकेक्षण कक्ष टीप अनुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाएं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील हैं। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2(क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र/एफ 5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर निम्न सहकारी संस्थाओं को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारण से म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) (क) के अन्तर्गत निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जाये। इस सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त सहकारी संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक
1	2	3
1.	राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर सह. संस्था मर्या., गंज सीहोर	1866/19-09-2017
2.	मार्डन साख सह. संस्था मर्या., आष्टा	1835/22-01-2016
3.	शुभ लक्ष्मी साख सह. संस्था मर्या., आष्टा	1841/16-06-2016
4.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्म. साख सह. संस्था मर्या., सीहोर	1109/20-06-2017
5.	आस्था साख सह. संस्था मर्या., आष्टा	1695/16-01-2003
6.	फेयरडील कोप. केंडिट सोसायटी मर्या., आष्टा	1646/29-09-2012
7.	सामुहिक ग्रामिण विकास साख सह. संस्था मर्या., सीहोर	1814/06-12-2014
8.	मातृ शक्ति महिला साख सह. संस्था मर्या., इच्छावर	1477/29-05-2010
9.	प्राथ. साख सह. संस्था मर्या., सीहोर	1369/04-06-2007
10.	सीहोर सहयोग साख सह. संस्था मर्या. सीहोर	1774/16-06-2014
11.	जन साख सह. संस्था मर्या., सीहोर	1520/29-10-2010
12.	प्रयास केंडिट कोप. सोसायटी मर्या., सीहोर	1818/06-05-2015

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

उप-पंजीयक।

(605)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2019-आश्विन 5, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, साप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 मई, 2019

1. मौसम एवं वर्षा—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा है। सलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है।

2. प्रारम्भिक जुताई पर वर्षा का प्रभाव :- ..
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- ..
4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- ..
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- ..
7. अन्य असामयक घटना से छति :- ..
8. फसल स्थिति :- ..

9. सिंचाई:- जिला सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, नीमच, बड़वानी, बुरहानपुर, विदिशा, भोपाल, बैतूल, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 मई, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना-समान. (2) गन्ना सुधरा हुआ.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन-मिहोना 7. गोरमी 8. मौ				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना-अधिक. (2) गन्ना-समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढ़ौनी 5. भाण्डेर				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. कैरसा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ	..				
9. बद्रवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना-कम. (2) गन्ना-समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बर्ट्टेवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छत्तरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छत्तरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ .. 2. पन्ना .. 3. गुन्हौर .. 4. पवई .. 5. शाहनगर .. 6. देवन्द्रनगर .. 7. अमानगंज .. 8. सिमरिया .. 9. रैपुरा ..					
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना .. 2. खुरई .. 3. बण्डा .. 4. सागर .. 5. रेहली .. 6. देवरी .. 7. गढ़कोटा .. 8. राहतगढ़ .. 9. केसली .. 10. मालथोन .. 11. शाहगढ़ .. 12. जैसीनगर ..					
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मूँग, उड्ड-जायद अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा .. 2. बटियागढ़ .. 3. दमोह .. 4. पथरिया .. 5. जवेरा .. 6. तेन्दूखेड़ा .. 7. पटेरा ..					
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर .. 2. मझगवां .. 3. रामपुर-बघेलान .. 4. नागौद .. 5. उच्चहरा .. 6. अमरपाटन .. 7. रामनगर .. 8. मैहर .. 9. कोठर .. 10. विरसिंहपुर ..					
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर .. 2. सिरमोर .. 3. मऊगंज .. 4. हनुमना .. 5. हुजूर .. 6. गुढ़ .. 7. मनगवां .. 8. सेमरिया .. 9. जवा .. 10. नईगढ़ी .. 11. रायपुरकचुलियान ..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. चंदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	3.4				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	1.0				
20. जिला सिंगराली :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवपर	..				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगराली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर+दालोद	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगोली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौदा	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) मूँग-कम. (2) मूँग-समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिल्ल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झावुआ : 1. थांत्ता 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झावुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. .. 	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सॉडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर	2. .. 	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्की 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. .. 	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. गौतमपुरा 5. हातोद 6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. .. 	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावा 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर	2. .. 	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजकोट 4. सेध्वा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. व्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना- (2) गन्ना-समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेसन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठरी	..				
11. श्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ की बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना-कम. (2) गन्ना-समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	..				
2. भैसदेही	..				
3. घोड़डोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिंचोली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँग-अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..				
2. सिवनी-मालवा	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटांव	..				
5. हंडिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..				
2. कुण्डम	..				
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..				
2. ढीमरखेड़ा	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) मूँग, उड्ड, जायद अधिक. गन्ना-समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जुनारदेव 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांडुणा				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना-अधिक. (2) गन्ना-समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कवलारी 5. लखनादेन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसार				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खेरलाँजी				

ओ. पी. बाथम,
प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(610)